FORM NO - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (CSWOO) सिरोही मुकाम

देवाराम वगैरा

बनाम विजाबाई वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व प्रकरण 212 R.T Act राजस्व प्र. 180/20

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहका जो इस हुक्म की तामी में जारी हुये
23-3-2018	वकील उभय पक्षकारान व वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से जवाब पेश किया, जिसे शामिल किया जिसे शामिल किये गये पत्रावली को प्रार्थी सं. 3 स्टेट के जवाब हेतु 23-4-2018 को पेश हो।	
23-4-18	पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित आज साहब मुख्य मंत्री राज. सिरोही दौरे पर होने से छोटी कोर्ट ड्यूटी में है। अतः पत्रावली इलतवा होकर दिनांक 23-5-2018 को पेश हो।	
23-5-2018	आज यह पत्रावली राज्य सरकार के आदेशानुसार विद्याराम राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर पक्षकारों को राहत प्रदान करने की दृष्टि से नियमानुसार 31 मई 2018 के अवकाश के बाद सेवा केन्द्र कालन्द्री में मेरे समक्ष पेश हुई पत्रावली देखने पर प्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से अभी तक जवाब पेश नहीं हुआ है जवाब न्यायालय द्वारा प्रार्थी सं. 1 व 2 को न्यायालय	

व्यतीत होने पर बावजूद पेश नहीं किया है
जबकि सीपीसी के प्रावधानों के तहत 90 दिन
की समयावधि में जवाब पेश करना आवश्यक
है। अतः अभिभाषी सं. 1 व 2 को जवाब पेश
करने हेतु आगे समय दिया जाना न्यायोचित
नहीं होने से अभिभाषी सं. 1 व 2 का जवाब
बंद किया जाता है। अभिभाषी सं. 3 स्टेट की
ओर से तहसीलदार सिरोही ने जवाब
पेश किया, जिसे स्वीकार किया गया।
विचाराधीन प्रकरण की सुनवाई के दौरान
प्रार्थी देवाराम व अभिभाषी कानुराम तथा
अभिभाषी सं. 3 स्टेट तहसीलदार सिरोही
द्वारा अंतिम बहस करने से अंतिम
बहस गंभीरता से सुनकर उस पर
मनन किया।

हमने विचाराधीन प्रकरण की मूल
पत्रावली के संलग्न प्रस्ताव क्रमांक 212
R.T. Act वाद ग्रस्त कृषि भूमि की जमाबंदी
संवत 2070-2073 के नये खाता नं. 439
खसरा नं. 1744 खसरा नं. 1742, 1745 नवीन
खेल फिरतवार प्रतिवादीगण की जमाबंदी
संवत 2070-2073 खाता नं. 402 खसरा
1630 प्रकाशन के I.D. नोटिस बोर्ड
वादी के विपक्ष प्रार्थीगण
के I.D. जवाब अभिभाषी सं. 1 व 2 तथा
तहसीलदार सिरोही के जवाब को भी
गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर भी
मनन किया। विचाराधीन सम्पूर्ण प्रकरण
के विवेचन के बाद तहसीलदार सिरोही
के जवाबदावा के आधार पर प्रार्थीगण
का यह कथन सत्य है कि उनकी खातेदारी
कृषि भूमि आराजी खसरा नं. 1744 से
लगती हुई खसरा नं. 1741 व 1745 की
विलानाम आराजी है। सही मौके पर मौजूद
जगह की स्थिति से विलानाम भूमि के
5 बीघा भूमि रकबा पर रकबा आराजी
का कोई अस्तित्व साक्ष्य प्रार्थीगण
ने पेश नहीं किया है तथा अभिभाषीगण

FORM NO - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (CS-मुकाम सिरोही

देवाराम वगैरा बनाम निजाबाई वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 212 R.T Act प्रकरण सं. 180/2017

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	1744 एवं विलानामा ख.नं. 1741 व 1745 की आराजी के आगे ख.नं. 1651 में स्थित विलानामा वाले हेतु संचार की हुई है वर्णित विलानामा आराजी पर प्रार्थीगणों के अतिक्रमण का कोई हस्तांतरी सादृश्य वीव प्रार्थीगण द्वारा पेश करना धारा की पर नहीं पाया गया है अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थीगण का बाद गुत्तर कृषि भूमि का घोषित नहीं होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है तथा न ही प्रार्थीगण का अपने बाधाओं के सतत से अधीन से कठिन कारण होना पाया है इस कारण सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में जाना प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र धारा 212 R.T Act का विपक्ष अप्रार्थीगण स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है। निर्णय (खारिज) किया जाता है।	